अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–37/2025.

1. राम सागर राय ..... आवेदक।

बनाम

(1) बिहार सरकार .....

(2) प्रेमशीला देवी ..... विपक्षीगण।

Web Copy Not Official

आदेश

21.05.2026

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–15, वैशाली, हाजीपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.01.2025 के विरूद्ध दाखिल की गयी है। पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 मे अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–15, वैशाली, हाजीपुर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षणकर्ता एवं अन्य के विरूद्ध धारा 76, 79, 64(1), 62, 238, 3(5) BNS Act & 66(E), 67(A), 66(D) I.T. Act के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। उभय पक्ष उपस्थित है।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आपराधिक पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इससे पूर्व कोई आवेदन दाखिल नही किया गया है। सूचिका द्वारा दिये गये प्राथमिकी हेतु आवेदन मे आपराधिक पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नही लगाया गया है। आवेदन मे बलात्कार करने का कथन नही किया गया है और नही रंगदारी आवेदक द्वारा मांगा गया है। सूचिका के नग्न तस्वीर और विडियो बनाने का आरोप आवेदक के विरूद्ध नही है। पर्यवेक्षण टिप्पणी मे भी एस.डी.पी.ओ. के द्वारा ललन राय एवं बेचन राय के अलावे अन्य को निर्दोष पाया है लेकिन अनुसंधानकर्ता ने आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2025 को संज्ञान लिया गया है जो कि पुरी तरह अनुचित हैं। आवेदक के विरूद्ध कोई तार्किक साक्ष्य नही है। माननीय निम्न न्यायालय ने इस ओर ध्यान आकृष्ट नही किया है कि आवेदक सेवानिवृत पुलिस अधिकारी है तथा उसका उम्र लगभग 75 वर्ष है एवं उसका कोई अपराधिक इतिहास नही है। माननीय निम्न न्यायालय ने एस.डी.पी.ओ. के रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट नही किया है। उभय पक्ष आपस मे गोतिया है। आगे निवेदन किया गया कि पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 को रद्द किया जाए।

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–37/2025.

विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित है और उक्त आवेदन का विरोध करते है तथा विपक्षी सं0–2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–15, वैशाली, हाजीपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.01.2025 वैधानिक एवं संपुष्ट करने योग्य है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्राथमिकी के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पुनरीक्षणकर्ता भी प्राथमिकी मे नामजद अभियुक्त है तथा उसकी संलिप्तता के संबंध मे केस डायरी की कंडिका 4, 7, 8, 9 मे सभी साक्षियो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुनरीक्षणकर्ता राम सागर राय भी बलत्कार किये जाने के समय घटना स्थल पर उपस्थित था तथा उसने ही दरवाजा बंद किया था और इसी आधार पर साक्षियो के साक्ष्य को दृष्टगत रखते हुये अनुसंधानकर्ता ने पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया था, यहां तक कि पुलिस अधीक्षक ने भी अपने पर्यवेक्षण रिपोर्ट मे पुनरीक्षणकर्ता की संलिप्तता को भी पाया है। अतः केवल इस आधार पर कि एस.डी.पी.ओ. ने अपने पर्यवेक्षण रिपोर्ट मे पुनरीक्षणकर्ता को निर्दोष कहा है, अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान के निष्कर्ष को व्यर्थ नही कहा जा सकता है। अतः माननीय निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध सुसंगत धाराओं मे संज्ञान विधि सम्मत ही लिया गया है। आगे अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाए।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद मे उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता भी प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है और केस डायरी के साक्षियो ने पुनरीक्षणकर्ता की उपस्थिति भी घटना स्थल पर संपुष्ट की है। सामुहिक बलात्कार के आरोप के लिए यह आवश्यक नही है कि घटना मे संलिप्तत सभी अभियुक्तगण के द्वारा शारीरिक संबंध बनाये जाने का आरोप हो। अनुसंधानकर्ता ने मामले को सत्य पाते हुये पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध भी आरोप पत्र समर्पित किया है, जहां तक प्रश्न संज्ञान आदेश की विधि सम्मत होने की बात है वहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भुषण कुमार बनाम स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली ए,आई,आर. 2012 एस.सी. 1747 एवं नुपुर तलवार बनाम सी.बी.आई. ए,आई,आर. 2012 एस.सी. 1921 ने स्पष्ट

Web Copy not Official

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–37/2025.

रूप से निर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 204 के अधीन किये गये आदेश मे केवल इतना मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किया जाना पर्याप्त होता है कि उसके पास अभियुक्त को सम्मन किये जाने का पर्याप्त आधार है न कि इस बात को अंकित किये जाने के अपेक्षा की जाती है कि वह यह स्पष्ट करें कि दोषसिद्ध के लिये पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक मे यह कहना पुर्ण रूप से विधि सम्मत है कि तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–15, वैशाली, हाजीपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक–29.01.2025 मे कोई अशुद्धता, अवैधता या औचित्य की कमी नही है क्योकि उन्होनें अपने आदेश मे प्राथमिकी, केस डायरी मे आये हुये तथ्यों साथ ही आरोप पत्र को ध्यान मे रखते हुये ही संज्ञान लिया हैं तथा सभी अभियुक्तगण को अभियुक्त के रूप मे सम्मन करने का आदेश दिया हैं। इसलिए उनके आदेश मे कोई अशुद्धता, अवैधता या औचित्य की कमी नहीं है। अतः प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता हैं।

लेखापित

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं0–37 / 2025.

Date of Judgment/Order	21-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	21-05-2026
Uploading Date	22-05-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official